

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.01.2019 के लिए मानवीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राधाकृष्ण किशोर स०वि०स०	पलामू जिले के पड़वा प्रखंड अन्तर्गत हिन्डाल्को प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा माइनिंग प्लान की स्वीकृति के बिना कोयले का खनन किया जा रहा है। वन, पर्यावरण के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हिन्डाल्को प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा धड़ल्ले से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ तक की कठौतिया कोल माईस के लीज क्षेत्र के अन्तर्गत चिह्नित 344.16 हे० जंगल झाड़ी भूमि में भी कोयले का माइनिंग हो रहा है। कंपनी के द्वारा कोयले के परिवहन से ग्रामीण सङ्के जीर्ण-शीर्ण हो गई है। हिन्डाल्को प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित कठौतिया कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँव सरुवुई, सिक्का, गाड़ीखास, कठौतिया तथा बटसारा में पेयजल, प्राथमिक उपचार तथा C.S.R. के तहत किये जाने वाले कार्यों को भी नहीं किया जा रहा है। कठौतिया कोल माईस के निकट ग्राम कजरी के चंदनविधा ठोला में रहनेवाले परिवारों के घरों के समीप ओवर बर्डन का विशाल भंडार लगा दिया गया है।	खान एवं भूतत्व

-::2::-

01.	02.	03.	04.
		<p>फलस्वरूप इनलोगों का जीवा दूधर हो गया है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा माईस क्लोजर प्लान के निर्देशों का पालन भी हिन्डाल्को प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं कठौतिया कोल माईस, हिन्डाल्को प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा खनन नियमों के विपरीत किये जा रहे खनन की उच्चस्तरीय जॉच कराने के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	
02-	श्री शिवशंकर उर्याँव स०वि०स०	<p>गुमला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गुमला नगर के बीच से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 गुजरती है। नगर में मौजूदा सड़क अत्यंत संकरा होने की बजह से आम लोगों एवं राजमार्ग के वाहनों के सघन आवागमन से आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती थी। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार से मांग की गयी थी कि गुमला नगर से बाहर ही बाहर होकर 12.5 कि०मी० एक बाय पास मार्ग का निर्माण किया जाए। सरकार ने गुमला नगरवासियों की समस्या और मांग को गंभीरता से लेते हुए उक्त बाय-पास मार्ग निर्माण की योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत भी कर दिया, वर्ष 2016 ई० में उक्त सड़क निर्माण हेतु शिलान्वास हुआ और कार्य आरंभ कर दिया गया। सामान्य तौर पर किसी भी सड़क निर्माण कार्य हेतु 18 महीने की समयावधि निर्धारित होती है। लेकिन उक्त मात्र 12.5 कि०मी० का मार्ग 36 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका और अगले 48 माह में भी पूरा होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इस कार्यवधि में जो भी कार्य अबतक हुए है, की गुणवत्ता स्थल पर जाने पर ही पता चलता है। इस सड़क निर्माण कार्य की टेकेदारी मेसर्स संजय अग्रवाल, रायपुर के नाम पर आवंटित है। जिसका कार्य नितांत घटिया किरम का है।</p>	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
		<p>इस सम्बंध में राज्य सरकार एवं सरकार के अधिकारियों के समक्ष लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है। लेकिन कार्य में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई।</p> <p>मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि उक्त सङ्कक के निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारणों एवं सङ्कक निर्माण की गुणवत्ता की जाँच के लिए विधान सभा के सदस्यों की एक कमिटी बनाकर जाँच करायी जाए। और बाय-पास सङ्कक निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए ताकि युग्मला नगर वासियों की बुनियादी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	
03-	<p>श्री कुणाल षड्ंगी स०वि०स० प्र० स्टीफन मरांडी स०वि०स० डॉ इरफान अंसारी स०वि०स०</p>	<p>बरहागोड़ा विधान सभा क्षेत्र से जुड़े हुए एन०एच०-०६ एवं एन०एच०-३३ से निम्नलिखित सङ्ककों जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-</p> <p>1- एन०एच०-०६ से</p> <p>(1)- मालुआ- महकंडिया होते हुए पाटपुर- बाधाकुली (2)- जयपुरा होते हुए ब्राह्मण कुंडी, (3) रामचन्द्रपुर (4)- कईमी होते हुए बहरागोड़ा बाजार (5) मांगरोशोल समेत सभी जर्जर पीएमजीएसवाई और आरईओं सङ्ककों</p> <p>2- एन०एच०-३३ से</p> <p>1- मोटेल चौक से पाथरा एवं महुली चौक से भालुक खुलिया।</p> <p>ज्ञातव्य है कि उपरोक्त सङ्ककों समेत कई पुरानी P.M.G.S.Y. और आरईओं की सङ्ककों जो पुरी तरह से जर्जर होकर आवागमन के लायक नहीं बद्दी है। बारिस के दिनों में इन सङ्ककों के माध्यम से जोड़ने वाले ग्राम टापू के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जिससे लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।</p>	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
04- श्री सुखदेव भगत स०वि०स०	दिसम्बर-2018 एवं जनवरी 2019 में सरकार द्वाया MSTC Ltd के माध्यम से E-auction द्वारा लघु खनिज का निविदा की गई जिसके कारण झारखण्ड के लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यवसायी विचित हो गए और पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून का उल्लंघन किया गया। अतः रथानीय व्यवसायियों के हितार्थ एवं पांचवी अनुसूची के रक्षार्थ पहल कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	दिसम्बर-2018 एवं जनवरी 2019 में सरकार द्वाया MSTC Ltd के माध्यम से E-auction द्वारा लघु खनिज का निविदा की गई जिसके कारण झारखण्ड के लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यवसायी विचित हो गए और पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून का उल्लंघन किया गया। अतः रथानीय व्यवसायियों के हितार्थ एवं पांचवी अनुसूची के रक्षार्थ पहल कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ध्यान एवं भूतत्व
05- श्री बिरंची नारायण स०वि०स० श्री योगेश्वर मठतो स०वि०स०	राज्य बने लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट, DVC, BCCL, TVNL और CCL सहित राज्यभर की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापित हुए लाखों परिवार के लोगों को नौकरी, पुनर्वास एवं मुआवजा नहीं मिल सका है और विभिन्न कारणों से आज भी इनके मामले लंबित पड़े हैं और इस कारण विस्थापित हुए परिवार न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतः इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करते हैं कि बोकारो सहित राज्यभर के विस्थापितों को न्याय देने हेतु सरकार विस्थापन आयोजन का गठन करे, ताकि वर्षों से लंबित पड़े मामलों का निपटाया हो सके।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	

राँची,
दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

-::5::-

ज्ञाप सं-०-ध्या० एवं अन्बा०प्र०-०१/२०१९- ५९३ वि० स०, राँची, दिनांक- ११/०१/१९

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च व्यायालय रौंची/आन एवं भूतत्व विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. M. Doherty 1770-11-1

(एस शिराज वजीह बंटी)

उप सचिव,

उप स्थापन,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं-०-द्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-..... ५७३/वि० स०, रौची, दिनांक-१८/०१/१९

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा०
अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Mr. John 8/1/19

0502

सभाष/-